संख्या-9/2019-सा-3-220/दस-2019-308/2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2019

विषय:- दिनांक 01-01-2016 से पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मा0 सदस्य विधान परिषद, डा0 राजपाल कश्यप द्वारा प्रदेश के समस्त पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित कराने एवं विलम्ब के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गयी है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01-01-2016 से प्रदेश के समस्त पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 23-12-2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्य-9/2019-सा-3-220(1)/दस-2019-308-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव, संसदीय कार्य विभाग, विधान परिषद (संसदीय अनुभाग)।
2- संसदीय कार्य अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
दीनानाथ
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।